17/1/23

इत्तदती आइन्दा 17/01/23

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के वकील उप.। विपक्षी सं. 1 का जवाब अप्राप्त। जवाब का मौका बन्द किया जाकर वाद हुक्म नहीं आदेश मलना के लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 132/2022

प्रार्थीगण :–

1. जगदीश पुत्र सांवलाराम
2. धारूराम पुत्र सांवलाराम
3. दरियोदेवी पुत्री सांवलाराम
4. मफाराम पुत्र तगाराम
   जाति भील निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. वेरसीराम पुत्र हरचन्दराम
2. चेलाराम पुत्र धर्माराम
   जाति भील निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
3. श्री विलिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट आलपुरा जरिये अध्यक्ष लक्ष्मीचन्द पुत्र जेठमल जैन निवासी चितलवाना जिला जालोर
4. प्राधानाध्यापक राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला भीलों की बस्ती आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
5. करनाराम पुत्र चैनाराम
6. टीकमाराम पुत्र खेताराम
7. पाबूराम पुत्र दूदाराम
8. भैराराम पुत्र देरामाराम
9. मदरूपारम पुत्र डूंगराराम
10. रावताराम पुत्र चैनाराम
11. रावताराम पुत्र दैरामाराम
12. हिमताराम पुत्र दूदाराम
    जाति जाट निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
13. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री गंगाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.01.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित मौखित प्रतिरोध नहीं किया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2076–2079 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 235/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गाठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 235/2 रकबा 2.2177 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/1/2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी